

न्यायालय: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर
शिवहर थाना कांड संख्या-345/2021 जी0आर0-650/2022

दिनांक

19.12.2022

संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। उक्त विन्दु पर विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी को सुना।

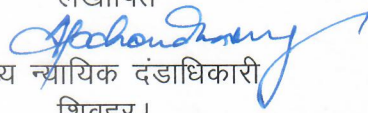
अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपश्चात प्राथमिकी के कुल छः अभियुक्तगण में से चार अभियुक्तगण 1. नजमा खातुन 2. वाजिद साह 3. खुशबु खातुन 4. हिना खातुन को अनुप्रेषित दिखाते हुए दो अन्य अभियुक्तों 1. फुलजहाँ खातुन 2. गुलबहार साह के विरुद्ध आरोप पत्र धारा-323, 341, 342, 504, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किया गया है।

सम्पूर्ण अभिलेख सहित प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी का कंडिकावार अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आरोप पत्र में नामित दोनो अभियुक्तगण 1. फुलजहाँ खातुन 2. गुलबहार साह के विरुद्ध आरोप पत्र की धारा- 323, 341, 342, 504, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से बनता प्रतीत होता है।

अतएव आरोप पत्र में नामित दोनो अभियुक्तगण 1. फुलजहाँ खातुन 2. गुलबहार साह के विरुद्ध उपरोक्त धारा के अपराध का संज्ञान लिया जाता है। अतः वाद विचारण हेतु निजि संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्मन निर्गत करे।

दिनांक: 15.03.2023. उपस्थिति हेतु।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
शिवहर। 15/12/22